न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 13 / 2019 / जैसलमेर

अपीलांट

1. मूलपुरी पुत्र भगवानपुरी
2. हमीरपुरी पुत्र भगवानपुरी
3. शिवदानपुरी पुत्र भगवानपुरी
4. आईदानपुरी पुत्र भगवानपुरी
5. तेजपुरी पुत्र भगवानपुरी
6. सुआ कंवर पत्नी भगवानपुरी जातियान स्वामी निवासीगण सिनावड़िया (राजमथाई) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.जोगपुरी पुत्र देवपुरी
2.तेजपुरी पुत्र देवपुरी जातियान स्वामी निवासीगण सिनावड़िया (राजमथाई) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
3.श्रीमान तहसीलदार भणियाणा।
4.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा पोकरण।
5.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा पोकरण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38 / 2016 बअनवान मूलपुरी बनाम जोगपुरी में पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 04.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल,श्री गौरव खत्री रेस्पोडेंट संख्या 01,02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 30.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 819 रकबा 129.18 किस्म बी–2 बारानी मौजा ग्राम सनावड़िया पटवार हल्का राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर में आई हुई है जिसमें हम अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ नयायालय में एक वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश किया गया। अपीलांटगण / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2017 को जारी प्रारम्भिक डिक्री के संदर्भ में बनी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.04.2018 के संदर्भ में दिनांक 13.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र बाबत प्रारम्भि डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट व नक्शे के संबंध में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के तहत पालना रिपोर्ट नहीं बनाई है। अपीलांटगण द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदारों के मध्य बंटवाड़ा आदेश में राजमथाई से पोकरण रोड खसरा संख्या 819 में दोनों पक्ष का रोड पर बराबर–बराबर हिस्सा निर्धारित करने का आदेश पारित कर दिया जो तो विधिवत है लेकिन अपीलांट / वादीगण को अपनी ढाणी निवासरत आवास से जो राजमथाई से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पोकरण रोड से नजदीक होते हुए भी आने–जाने का रास्ता दिए बिना आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई उसमे कही पर भी अपीलांटगण/वादी के हस्ताक्षर व उपस्थिति नहीं होने के बावजूद विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। अपीलांटगण/वादी द्वारा दिनांक 13.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र बाबत प्रारम्भि डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट व नक्शे के संबंध में विधि के प्रावधानों के तहत पालना रिपोर्ट नहीं बनाई है। अपीलांटगण द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। मौका रिपोर्ट नक्शे व बंटवाड़े के नक्शों में अन्तर है। अपीलांटगण/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में खसरा संख्या 18/19 का ही बंटवाड़ा मांगा था अनुतोष नहीं मांगने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य खसरों का बंटवाड़ा किया गया जो विधि के प्रावधानों के विपरित है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार भणियाणा स्वयं की उपस्थित में बनवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी स्वयं दिनांक 04.02.2019 को उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश आपत्ति का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हवाला दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा पेश आपत्ति का निस्तारण किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। दिनांक 23.07.2019 को हल्का पटवारी प्रार्थीगण की ढाणी में आया तथा बताया कि आपके बंटवाडे के दावे में हुए निर्णय अनुसार हमें जमीन को दो भागों में बांटकर आप लोगो की उपस्थिति में सीमांकन करना है। तब अपीलांटगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तब नकले प्राप्त होने पर प्रथम ज्ञान दिनांक 23.07.2019 को होने तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील को म्याद के बिंदु पर खारिज नहीं करके मैरिट पर निर्णित किया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि म्याद के बिंदु पर नम्र रूख अपनाते हुए अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

RRT 2018(1) Page 601

अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में तकरीबन 05 माह की देरी सद्भाविक नहीं तथा अपीलांटगण/वादी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पूर्व में ही जानकारी थी। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं अधिक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र बाबत प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट व नक्शे के संबंध में विधि के प्रावधानों के तहत पालना रिपोर्ट नहीं बनाई है पेश किया गया। अपीलांटगण द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलांटगण/वादी को कोई सूचना नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की उपस्थिति में नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांटगण/वादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2016 बअनवान मूलपुरी बनाम जोगपुरी में पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 04.02.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर अपीलांटगण द्वारा पेश आपत्ति का निस्तारण करते हुए एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

30/9/19

(नाथूसिंह यादव)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner